न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 27/22 दायर दिनांकः 24.03.2022
जीसीएमएस नं. 2022/70

बिमलसिंह उर्फ राजूसिंह पुत्र श्री गिरधर सिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.
––प्रार्थी

बनाम

1. निर्मलसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर 2. स्नेहसिंह पुत्री गिरधरसिंह पत्नि सुरेन्द्र जाति जाट नि. मकान नं. ए–66 मिलैक्ट्री एरिया के पास भाव किवन्स रोड पुरानी अजमेर चुंगी के पास जयपुर राज. 3. पभातसिंह पुत्री गिरधरसिंह पत्नि उमेशसिंह जाति जाट नि. मकान नं. ई–910 अपनी प्रेम हाईट्स विचपुरी के पास आगरा उ.प्र. 4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.
––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अधिवक्ता– 1.श्री रविन्द्र कुमार शर्मा ––प्रार्थी

निर्णय दिनांक 05.09.2024

प्रार्थीगण द्वारा मय वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. व सिलसिले प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.ए. पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की माता श्रीमति चन्द्रकुमारी पत्नि गिरधर सिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ही विधिक वारिसान है। स्व. माँ चन्द्रकुमारी की विरासत का इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व तस्दीक नहीं हुआ है।

आ.ख.नं. 1625 रकबा 0.36 हैक्टे. वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी 05/12 हिस्से का व अप्रार्थी संख्या एक 05/12 हिस्से का व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 प्रत्येक 01/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है।

आ.ख.नं. 11 रकबा 0.79, 28 रकबा 0.01, 29 रकबा 0.35, 46 रकबा 0.57, 49 रकबा 0.63, 07 रकबा 0.06, 08 रकबा 0.21, 30 रकबा 0.66, 35 रकबा 0.29, 36 रकबा 0.26 कुल किता 10 कुल रकबा 3.83 हैक्टे. वाके ग्राम आराजी बवेखर तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी 2/3 हिस्से का व अप्रार्थी संख्या एक 1/3 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है।

आ.ख.नं. 13 रकबा 0.80, 15 रकबा 0.82, 16 रकबा 0.01, 17 रकबा 0.01, 02 रकबा 0.43, 03 रकबा 0.52, 04 रकबा 0.76, 50 रकबा 0.63 कुल किता 08 कुल रकबा 3.98 हैक्टे. वाके ग्राम आराजी बवेखर तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्से का एवं अप्रार्थी संख्या एक 1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजी प्रार्थना पत्र की मद 4,5,6 में वर्णित है, जिसका अभी तक प्रार्थी एक एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के मध्य कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है और वाहमी मनवट के आधार पर काविज रह कर काश्त करते चले आ रहे है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के मध्य पैत्रिक एवं संयुक्त आराजी का कानूनी विभाजन किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की बाद तामील कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी गई।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि उभयपक्ष की उक्त विवादित भूमि पर दौराने दावा पेंचीदगीयां पैदा नहीं करें इसे मद्देनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी पर ताफैसला दावा रिकॉर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)